न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 71/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
रमजानी पुत्र इमामदीन जाति तेली मुसलमान निवासी आलनियावास तहसील रियाबडी जिला नागौर।		1अब्दुल मजीद 2गफार 3छोटू 4जुम्मा 5शकूर 6बली पुत्रान फकरूदीन 7जुबेदा पुत्री फकरूदीन 8जमीला पुत्री फकरूदीन 9नूरजहां पुत्री फकरूदीन जातियान तेली मुसलमान निवासीगण आलनियावास तहसील रियांबडी जिला नागौर। 10 नायब तहसीलदार भैरून्दा तहसील रियांबडी। 11 पटवारी आलनियावास तहसील रियाबडी जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 10 व 11 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 09.03.2021

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, भैरून्दा द्वारा ग्राम आलनियावास के नामान्तरकरण सं. एस.पी. 991 निर्णय दिनांक 26.10.2015 से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.11.2015 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 05.11.2015 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 बावजूद सूचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहे है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 10 से 11 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में मौजा आलनियावास के नामान्तरकरण सं. एसपी 991 दिनांक 26.10.15 की फोटोप्रति, ग्राम आलनियावास की जमाबंदी संवत 2060 से 63 की फोटोप्रति तथा न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबडी के निर्णय दिनांक 12.10.15 की फोटोप्रति पेश की है।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि

{2}(I)–अपीलाधीन आदेश व नामान्तरकरण खिलाफ कानून व तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं विधिक प्रावधानो के विपरीत हाने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–अपीलाधीन नामान्तरकरण जो कि नामान्तरकरण खोलने के तुरंत पश्चात विधि अनुसार ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाना आवश्यक था तथा नामान्तरकरण खोलने के 45 दिन के भीतर नायब तहसीलदार अथवा तहसीलदार को नामान्तरकरण के संबंध मे किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने का कोई विधिक अधिकार नही होता है। नामान्तरकरण विधि अनुसार ग्राम पंचायत के समक्ष रखकर बाद जांच आवश्यक आदेश पारित किया जा सकता है। इस सबंध मे भू अभिलेख निरीक्षक आलनियावास ने अपनी जांच रिपोर्ट मे आवश्यक रूप से अंकित किया है। ऐसी स्थिति मे उक्त नामान्तरकरण सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के समक्ष रखा जाना आवश्यक था। ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिन के भीतर किसी भी प्रकार की कार्यवाही व आदेश पारित नही जाता है तो तत्पश्चात ही तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार को नामान्तरकरण के संबंध मे जांच करने व आदेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त विधिक व आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत जाकर अवैध तरीके से नामान्तरकरण को बिना ग्राम पंचायत मे रखे स्वीकृत किया है। जो कि एक अवैध एवं विधिक प्रावधानो के विरूद्व आदेश है। इसलिये भी आदेश व नामान्तरकरण निरस्तनीय है।

{2}(III)–नामान्तरकरण खोलने का आदेश नायब तहसीलदार भैरून्दा द्वारा जारी किया गया तथा उनके द्वारा ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। जबकि विधि अनुसार ऐसा नही किया जा सकता है। साथ ही

अपर कलक्टर, नागौर

नामान्तरकरण एसडीओ कोर्ट के निर्णय के अनुसार करने का अंकन नामान्तरकरण मे किया है। जबकि एसडीओ कोर्ट रियाबडी द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने के संबंध मे कोई आदेश पारित नही किया गया है बल्कि दिनांक 12.10.15 को एसडीओ रियाबडी ने अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज किया है। नामान्तरकरण के संबंध मे कोई आदेश पारित नही किया है। इसलिये भी उक्त आदेश विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व किसी भी प्रकार की जांच नही की गई। जबकि वारिसान के संबंध मे जांच करने के संबंध मे भू अभिलेख निरीक्षक आलनियावास ने अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वारिसान बाबत जांच ग्राम पंचायत अपने स्तर पर कर निर्णय करावे। इससे स्पष्ट है कि वारिसान बाबत किसी प्रकार की जांच नही की गई। साथ ही फकरूदीन के चार पुत्रियां होना अंकित किया है। जबकि कुल तीन पुत्रिया है। इस प्रकार से अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना किसी प्रकार की जांच किये गलत रूप से स्वीकृत किया गया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(V)–विवादित आराजी के संबंध मे सक्षम राजस्व न्यायालय के समक्ष घोषणा खातेदारी इत्यादि का वाद विचाराधीन है। जिसमे पक्षकारान के हक अधिकार तय होने है तथा अपीलांट की सहखातेदार है। जिसमे समस्त हक अधिकार तय होने है। नायब तहसीलदार भैरून्दा को वाद चलने बाबत पूर्ण जानकारी थी। ऐसी स्थिति मे वाद के निस्तारण तक नामान्तरकरण की कार्यवाही विधि अनुसार स्थगित रखे जाने योग्य थी। नामान्तरकरण प्रक्रिया एक फिस्कल प्रक्रिया है। जिसके आधार पर पक्षकारान के हक अधिकार व टाइटल तय नही होता है जो कि राजस्व वाद से ही तय होने है जो राजस्व वाद विचाराधीन है। ऐसी स्थिति मे वाद के निस्तारण तक नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जानी आवश्यक थी। परंतु नायब तहसीलदार द्वारा गलत रूप से विधिक प्रावधानो के विपरीत जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। जो विधि अनुसार नही होने से निरस्तनीय है।

{2}(VI)–अपीलार्थी सह खातेदार है तथा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति से हक अधिकार प्रभावित हो रहे है तथा गलत नामान्तरकरण स्वीकृत करवाकर विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जिससे पक्षकारान के मध्य वाद बहुल्यता बढेगी साथ ही उक्त भूमि पूर्व मे इमामदीन के नाम दर्ज थी। जिनके उतराधिकारी द्वारा राजस्व वाद पेश किया गया है जो विचाराधीन है। ऐसी स्थिति मे विधि अनुसार वाद के निरस्तारण तक नामान्तरकरण जैसी फिस्कल प्रक्रिया स्थगित रखी जानी आवश्यक थी। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है।

{2}(VII)–अपीलाधीन नामान्तरकरण कुल 10 व्यक्तियो के नाम से स्वीकृत किया गया। परंतु खातेदारी मे 9 व्यक्तियो के नाम ही दर्ज किये गये है। इससे स्पष्ट है कि वारिसान बाबत कोई जांच नही की गई व बिना जांच के ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। जो विधि सम्मत नही होने से निरस्तनीय है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2009(2) पेज 1225 से 1227, आरआरटी 2008(1) पेज 228 से 231, आरआरटी 2016(2) पेज 1099 से 1102, आरआरटी 2015(1) पेज 39 से 43 नजीरे प्रस्तुत की है।

{3}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आराजी भूमि पुश्तैनी भूमि है तथा खातेदार फकरूदीन फौत होने पर विधिक उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई है। जो विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में विधिवत रूप से की गई नामान्तरकरण कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में मौजा आलनियावास के नामान्तरकरण सं. एसपी 991 दिनांक 26.10.2015 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। नामान्तरकरण जैर अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियाबडी के निर्णय अनुसार स्वीकार किया जाना स्वीकृति दिनांक 26.10.15 मे अंकित है। जबकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 12.10.15 मे क्या निर्देश दिये गये है। ऐसा स्पष्ट नही है। विवादित भूमि को लेकर न्यायालय सहायक कलक्टर रियाबडी मे नियमित राजस्व वाद भी विचाराधीन होना प्रकट है। नामान्तरकरण जैर अपील 10 व्यक्तियो के नाम स्वीकृत किया गया है जबकि जमाबंदी संवत 2060–63 के अंकन अनुसार 9 खातेदारो के नाम ही आये है। इस प्रकार वारिसान की जांच भी सही प्रकार से नही की गई है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अपर कलक्टर, नागौर

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील अपास्त किया जाता है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जरवेशन एवं न्यायालय सहायक कलक्टर रियाबडी मे विचाराधीन मामले की वर्तमान स्थिति आदि तथ्यो को अभिलेख पर लेकर दोनो पक्षो को नोटिस देकर जवाब, सबूत एवं शहादत लेते हुए पर्याप्त सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर